



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 127-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 27, 2018 (SRAVANA 5, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2018

संख्या 69/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, अनुसूची में, —

- (i) क्रम संख्या 92 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: —

"92क	1401	साल की पत्तियां, सियाली की पत्तियां, सीसल की पत्तियां, सबाई घास";
------	------	---

- (ii) क्रम संख्या 93क और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: —

"93ख	1404 90 90	वनस्पति सामग्री, झाड़ू या ब्रूम स्टिक के विनिर्माण हेतु";
------	------------	---

- (iii) क्रम संख्या 102 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

"102क	2306	तेल निष्कर्षित चावल-भूसी व्याख्या: यह छूट 25 जनवरी, 2018 से तेल निष्कर्षित चावल-भूसी प रलागू होती है जो कि शीर्ष 2306 के अंतर्गत आती है";
-------	------	--

- (iv) क्रम संख्या 114 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"114क	44 या 68	पत्थर, संगमरमर या लकड़ी से निर्मित देवी-देवताओं की मूर्तियां
"114 ख	46	खाली दोना; साल की पत्तियों, सियाली की पत्तियों, सीसल की पत्तियों, सबई घास से बने माल, जिनमें सबई घास की रस्सी भी शामिल है " ;

- (v) क्रम संख्या 117 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"117	48 या 4907 या 71	नोट रूपए या सिक्को जब इनको भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार को बेचा गया हो" ;
------	---------------------	---

- (vi) क्रम संख्या 132 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"132क	53	कोयर पिथ कम्पोस्ट, उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम पर किसी अनुयोज्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] " ;
-------	----	---

- (vii) क्रम संख्या 146 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"146क	9619 00 10 या 9619 00 20	सेनेटरी टावल्स (पैड्स) या सेनेटरी नेपकिन्स; टेम्पोन" ;
-------	-----------------------------	--

- (viii) क्रम संख्या 151 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"152	अध्याय 71 को छोड़कर कोई भी अध्याय	राखी (उनसे भिन्न जो अध्याय 71 के अधीन आने वाले मालों से बनी हों)" ।
------	--	---

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2018

No. 69/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Schedule,-

- (i) after serial number 92 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“92 A.	1401	Sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass”;
--------	------	---

- (ii) after serial number 93 A and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“93 B.	1404 90 90	Vegetable materials, for manufacture of jhadoo or broom sticks”;
--------	------------	--

- (iii) for serial number 102 A and entries thereagainst, the following shall be substituted,-

“102A.	2306	De-oiled rice bran Explanation: The exemption applies to de-oil rice bran falling under heading 2306 with effect from 25 th January, 2018”;
--------	------	---

- (iv) after serial number 114 and the entries thereagainst, the following serial numbers and the entries thereagainst shall be inserted, namely: -

‘114A	44 or 68	Deities made of stone, marble or wood
114B	46	Khali Dona; goods made of sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass, including sabai grass rope”;

- (v) for serial number 117 and the entries thereagainst, the following shall be substituted, namely:-

“117	48 or 4907 or 71	Rupee notes or coins when sold to Reserve Bank of India or the Government of India”;
------	------------------	--

- (vi) after serial number 132 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“132A	53	Coir pith compost other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”;
-------	----	---

- (vii) after serial number 146 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“146A	96190010 or 96190020	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins; tampons”;
-------	----------------------	---

- (viii) after serial number 151 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“152	Any Chapter except 71	Rakhi (other than those made of goods falling under Chapter 71)”
------	-----------------------	--

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.